न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2018

रामरतन पुत्र पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 71 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. दलीप | पिसरान रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी सरदारगढ तहसील
2. रामधन | सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. भागीरथ पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी घमण्डिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. बंशीलाल पुत्र रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी चक 71 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. रामस्नेही पुत्री रामनारायण पत्नी रामकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 23 के. वाई.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
6. इमला पुत्री रामनारायण पत्नी रामरतन जाति बिश्नोई निवासी चक 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. मालती पुत्री रामनारायण पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई निवासी थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
8. शिमला पुत्री रामनारायण पत्नी देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 के.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोंडन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी पदमपुर दिनांक 11.01.2018

उपस्थित–

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पो. संख्या

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

26/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 26.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी पदमपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधी.न्यायालय ने दिनांक 22.12.2017 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 5.02.2018 नियत की गई। उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा अधी. न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली दिनांक 11.01.2018 को पेशी में ली जाकर उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.2018 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश करने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.18 को अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया। दिनांक 23.01.2018 को रेस्पो. बंशीलाल की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अन्तिम आदेश न होकर अन्तरिम आदेश है जिसकी अपील नहीं हो सकती एवं विवादित भूमि अप्रार्थी/रेस्पो. की आवंटनशुदा है। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः उसके द्वारा प्रस्तुत अपील चलने योग्य नहीं होने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का मामला बनता था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः निवेदन है कि अपील के निर्णय तक स्थगन आदेश पुष्ट किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में जाहिर किया कि सीपीसी की धारा 151 का आदेश अपील योग्य आदेश नहीं होकर निगरानी योग्य आदेश है जिसकी निगरानी राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 230 के तहत माननीय राजस्व मण्डल में पेश योग्य होकर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर भी अपील चलने लायक नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त दौराने बहस अपने कथनों के समर्थन में वकील रेस्पो. ने आर.आर.टी. 2015(1)पेज 301 की नजीर पेश की। जिसका सार है कि जहां 212 का प्रार्थना पत्र लम्बित हो वहां धारा151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं

26/2/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है। अतः प्रथम दृष्टया अधी.न्यायालय द्वारा जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य ही नहीं था उसको खारिज करने का किया गया निर्णय विधि विपरीत है । अतः जो निर्यय शुरू से ही विधि विपरीत है एवं उसकी अपील भी विधि अनूकूल नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोक ने स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा वाद के साथ 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो दिनांक 22.12.2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये उसके पश्चात प्रार्थी/अपीलांट ने धारा 151सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधी.न्यायालय ने दिनांक 11.01.2018 को पत्रावली पेशी में ली जाकर सुनवाई कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । इससे स्पष्ट है कि अधी.न्यायालय में धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है प्रार्थना पत्र में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया है। वकील रेस्पो.द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त आरआरटी 2015 (1) नवल हाउस कोलोनाईजर बनाम भूराराम रिवीजन संख्या 286/जयपुर/2014 निर्णय दिनांक 29.01.2014 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि रा.का.अ. 1955–धारा 212, 221 व 230–सिविल प्रकिया संहिता, 1908–धारा 151–अपील के विचाराधीन रेकार्ड का अवलोकन किये बिना स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश प्रतिस्थापित किया–मामला रेस्पो. के की तामील हेतु लम्बित था–धारा 151 सिविल प्रकिया संहित के अर्न्तगत प्रार्थना पत्र पर यथावत स्थिति रखने का अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिया–धारा 151 सिविल प्रकिया संहित के अर्न्तगत आदेश पारित नहीं करना चाहिए जब धारा 212 के अन्तर्गत प्रा.पत्र पहले से ही लम्बित है फिर भी अधी. न्यायालय द्वारा सीपीसी की धारा 151 के तहत किया गया आदेश अपील योग्य न होकर निगरानी योग्य होकर निगरानी का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व मण्डल को प्राप्त है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर